

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide employment to people displaced due to Subarnarekha Project in Chandil, Jharkhand.

श्री राम टहल चौधरी (राँची): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चांडिल में स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना है। मैं इस मुद्दे को कई बार सदन में उठा चुका हूँ। मैं आपके माध्यम से शून्य काल में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे गृह राज्य झारखंड में चांडिल में स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना 38 वर्ष पूर्व बनी थी। 38 साल पहले बनी इस परियोजना से गरीब विस्थापित परिवारों को कई कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उनके घर और खेत बरसात के दिनों में पानी में डूब जाते हैं जो बहुत ही कष्टदायक है। हम 36 साल से उनके कष्टपूर्ण जीवन से पूरी तरह से वाकिफ हैं। वैसे तो विस्थापित परिवार के लिए कई कार्य किए गए हैं और शेष विस्थापितों के लिए पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के अंतर्गत एक समयबद्ध कार्य योजना बनाई गई थी परंतु 36 साल में इस योजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सुविधा एवं भूमि के मुआवजे के भुगतान से अभी तक वंचित किया हुआ है। उन्हें अभी तक विकास पुस्तिका भी जारी नहीं की गई है। गरीब ग्रामीण विस्थापित लोग भूमि के अधिग्रहण के कारण भुखमरी के शिकार हो गए हैं। इस परियोजना से प्रभावित लोगों को नियमानुसार रोजगार तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। विस्थापित परिवारों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इस परियोजना के डैम का पानी बेकार पड़ा हुआ है, यहां लिफ्ट तकनीक से सिंचाई भी नहीं की जा रही है। इस सिंचाई योजना के अंतर्गत बिजली बनाने की बात थी, खेतों में पानी पहुंचाने की बात थी, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि चांडिल की स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना में विस्थापित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास किया जाए, उन्हें विकास पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए और समुचित आवास उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने भी विस्थापित परिवार के लोग हैं, अगर वे योग्यता हासिल करते हैं तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में भूमि अधिग्रहण में दिक्कत न हो। सरकार को विस्थापित परिवारों के बारे में सोचना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ कुलमणि सामल को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।